क्र०सं०	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड एक दृष्टि में।	1–2
2	खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के विभिन्न शाखाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण।	3–7
3	वित्तीय वर्ष 2010–11 एवम् वर्ष 2011–12 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ के क्रय का विवरण।	8
4	खरीफ-खरीद वर्ष 2011–12 में लेवी योजना के अन्तर्गत धान/चावल के क्रय का विवरण।	9
5	भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी का विवरण।	10–12
6	वित्तीय वर्ष 2011–12 में ए०पी०एल० योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) के आवंटन/उठान/वितरण की स्थिति।	13
7	वित्तीय वर्ष 2011–12 में बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) के आवंटन/उठान/वितरण की स्थिति।	14
8	वित्तीय वर्ष 2011–12 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) के आवंटन/उठान/वितरण की स्थिति।	15
9	वित्तीय वर्ष 2011–12 में लेवी चीनी एवम् मिट्टी तेल के आवंटन/उठान/वितरण की स्थिति।	16
10	वित्तीय वर्ष 2011–12 में उत्तराखण्ड राज्य में रसोई गैस के वितरण की सूचना	17
11	वित्तीय वर्ष 2011–12 में किये गये पर्वतन कार्यों का विवरण	18–20
12	उत्तराखण्ड में उचित दर की दुकानों की संख्या का विवरण	21
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के राशन कार्डों का विवरण	22

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड एक दृष्टि में

भाग-1
(सामान्य)

राज्य में खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत चार शाखायें है जो क्रमशः विपणन शाखा, आपूर्ति शाखा, विधिक माप विज्ञान एवम् राज्य उपभोक्ता फोरम हैं।

विपणन शाखा :-

विपणन शाखा का मुख्य दायित्व कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ/धान की खरीद, लेवी योजना के अन्तर्गत राज्य के राईस मिलर्स से लेवी चावल की खरीद तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की केन्द्रीय/स्टेटपूल से उठान, चीनी मिलों से चीनी की प्राप्ति तथा उसका सुरक्षित भण्डारण एवम् वितरण गोदामों को उसका सम्प्रेषण करना है। खाद्यान्न/चीनी के रख रखाव के लिये राज्य के मैदानी क्षेत्र में विपणन शाखा के पास 27 बेस/ब्लॉक गोदाम हैं, जिनकी कुल संग्रहण क्षमता 42150 मी०टन है।

आपूर्ति शाखा :-

आपूर्ति शाखा का मुख्य कार्य बेस गोदाम से विभिन्न योजनाओं ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/ अन्त्योदय अन्न योजना/अन्नपूर्णा योजना/ एस०जी०आर०वाई० योजना के खाद्यान्न की आपूर्ति आन्तरिक गोदामों से सम्बन्धित क्षेत्र के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण कराया जाना है। मिट्टी का तेल, थोक विक्रेताओं से सम्बद्ध उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित स्केल के अनुसार कुल कार्डों के आधार पर वितरित करवाया जाता है। यह वितरण कार्ड धारकों के पास गैस कनेक्शन होने या न होने पर आधारित होता है। नियंत्रित दरों की आवश्यक वस्तुओं की काला बाजारी रोकने हेतु आकस्मिक निरीक्षण सम्पादित किये जाते हैं। आपूर्ति शाखा के अन्तर्गत 13 जनपदों में 174 आन्तरिक गोदाम हैं जिनकी कुल संग्रहण क्षमता 52732.300 मी०टन है। राज्य में कुल सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों की संख्या-**8760** है। जिसमें **7711** ग्रामीण क्षेत्र के तथा **1035** शहरी क्षेत्र में है।

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) :-

विधिक माप विज्ञान शाखा का मुख्य कार्य केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप प्रदेश में बाटों-मापों तथा तोलने एवम् मापने के यन्त्रों का व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक प्रवर्तन एवम् सत्यापन एवम् मुद्रांकन का कार्य सम्पादित करना एवम् तत्सम्बन्धी अन्य प्रकरणों यथा माप तोल का सही मात्रा में दिया जाना सुनिश्चित करना है।

राज्य आयोग उपभोक्ता फोरम :-

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता को अपनी माल की हुई हानि की भरपाई करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति माल या सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उक्त माल या सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध परिवाद दाखिल कर सकता है। यह कानून अन्य कानूनों की भाँति दंडात्मक नहीं हैं। लेकिन राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करने पर संबंधित पक्ष के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 एवम् 25 के अंतर्गत सजा, आर्थिक दंड एवं वसूली का भी प्रावधान हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वर्ष 2004 में संशोधन के उपरान्त अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों में 20 लाख रूपयें के मूल्यांकन के परिवाद दाखिल किये जा सकते हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 20 लाख रूपये से ऊपर एवं एक करोड तक के मूल्यांकन के परिवाद दाखिल किये जा सकते हैं। इससे ऊपर के मूल्यांकन के परिवाद माननीय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली में दाखिल किये जा सकते हैं।

भाग–2

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के विभिन्न शाखाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य का संक्षिप्त विवरण

(अ)

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये खाद्यान्न योजना

1. बी०पी०एल०

अ- बी०पी०एल० परिवारों को Subsidized Rate पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

ब- उत्तराखण्ड राज्य में बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत **4,98,000 बी०पी०एल० परिवारों** का चयन किया गया था, जिसमें 1,90,926 अन्त्योदय परिवार भी सम्मिलित थे। इस योजना के अन्तर्गत 3,07,074 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

स- इस योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों को **सफेद** रंग का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।

द- इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) **35 किलो ग्राम** खाद्यान्न प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।

य- राज्य के हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में प्रति राशन कार्ड **24.750 किलो ग्राम चावल** एवम् **10.250 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है। **हरिद्वार जनपद में 12.140 किलो ग्राम चावल** तथा **22.860 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।

र- इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को भारत सरकार के निर्देशानुसार **₹ 6.15 प्रति किलो ग्राम चावल** एवम् **₹ 4.65 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।

स- राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2011 से बी०पी०एल० परिवारों को **₹ 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल** एवम् **₹ 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. अन्त्योदय अन्न योजना

अ- राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत 1,90,926 परिवारों का चयन किया गया है।

ब- इस योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को **गुलाबी रंग** का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।

स- इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) **35 किलो ग्राम खाद्यान्न** प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।

द- राज्य के सभी जनपदों में प्रति राशन कार्ड **24.540 किलो ग्राम चावल** एवम् **10.460 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।

य- इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को **₹** 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल एवम् **₹** 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है।

(ब)

एoपीoएलo

भारत सरकार के निर्देशानुसार एoपीoएलo परिवारों को **₹ 8.45 प्रति किलो ग्राम चावल कॉमन** एवम् **₹ 6.60 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु माह फरवरी, 2011 से राज्य सरकार एoपीoएलo परिवारों को **₹ 6.00 प्रति किलो ग्राम की दर से चावल** एवम् **₹ 4.00 प्रति किलो ग्राम की दर से गेहूँ** उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में **19,90,664** राशन कार्ड एoपीoएलo श्रेणी के हैं।

(स)

चीनी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत सभी कार्ड धारकों को चीनी उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें प्रति कार्ड धारक को निर्धारित मूल्य 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध करायी जाती है। उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्तमान आवंटन 6,033.00 मी०टन प्रतिमाह है। वर्तमान में राज्य में ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना के कुल **24,88,664** राशन कार्ड हैं, जिनकी कुल यूनिट संख्या **1,13,28,140** है। शर्करा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु प्रतिमाह आवंटित लेवी चीनी के विरूद्ध चीनी मिलों से राज्य को प्राप्त हो रही लेवी चीनी की उपलब्धता के आधार पर प्रति यूनिट चीनी उपलब्ध करायी जाती है।

(द)

मिट्टी का तेल

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ए०पी०एल०/बी०पी०एल०/अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिये मिट्टी तेल का आवंटन किया जाता है। राज्य में सुगम, दुर्गम तथा अतिदुर्गम क्षेत्रों में बिना गैस कनैक्शनधारी राशन कार्ड धारकों एवम् सिंगल गैस कनैक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्नानुसार मिट्टी तेल शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर दिया गया है :-

क्रमांक	क्षेत्र	सिंगल गैस कनैक्शनधारी राशन कार्ड धारकों हेतु	बिना गैस कनैक्शनधारी राशन कार्ड धारकों हेतु
1	सुगम	03 लीटर	05 लीटर
2	दुर्गम	05 लीटर	07 लीटर
3	अतिदुर्गम	05 लीटर	10 लीटर

<u>विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप)</u>

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) विभाग का कार्य भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानकों के अनुरूप प्रदेश में मैट्रिक बाटों, मापों तथा तौलने एवं मापने के यन्त्रों का व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक प्रवर्तन एवम् सत्यापन तथा मुद्रांकन का कार्य सम्पादित करना एवं सही माप-तौल सुनिश्चित करना है।

<u>**वित्तीय वर्ष 2011-2012**</u> में विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया, जिसके सापेक्ष **₹ 15,87,837.00 (रूपये पंद्रह लाख सत्तासी हजार आठ सौ सैंतीस मात्र)** की विभागीय आय अर्जित की गयी है।

अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक विभाग में प्रवर्तन कर्मियों द्वारा 43678 निरीक्षण किये गये जिसके विरूद्ध 3989 मामले विभाग द्वारा विभिन्न व्यापारियों की अनियमितताओं के विरूद्ध पंजीकृत किये जा चुके है, जिसमें एल०पी०जी० गैस एजेन्सी के 42 मामले, पैकेज वस्तुओं के 97 मामले, पेट्रोल पम्पों के 84 मामले, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के 243 मामले, सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान के 52 मामले, गन्ना क्रय केन्द्र/क्रेन क्रशर/शुगर फैक्ट्री के 31 मामले, हार्डवेयर विक्रेताओं के 129 मामले, दूध विक्रेताओं के 85 मामले, गेहूँ क्रय केन्द्र के 23 मामले, आटा चक्कियों के 216 मामले, फैक्ट्रियों के 219 मामले, बुलियन/सर्राफ व्यापारियों के 154 मामले, मिठाई विक्रेताओं के 189 मामले, गल्ला किराना विक्रेताओं के 1071 मामले, धर्मकांटे के 67 मामले तथा सब्जी विक्रेताओं के 352 मामले तथा अन्य 958 मामले शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में पकड़े गये 3989 मामलों में ₹ 13,94,500.00 (रूपये तेरह लाख चौरानवे हजार पाँच सौ मात्र) समझौता शुल्क के रूप में वसूल किया जा चुका है।

विभाग में अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक प्रदेश के 66,395 व्यापारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले 4,42,619 बाटों, मापों, तौलने के यंत्रों एवम् मापने के यंत्रों का सत्यापन-मुद्रांकन कराया गया है, जिनसे रूपये 1,61,29,399 मुद्रांकन शुल्क के रूप में प्राप्त किया गया है।

विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्य/बाटों-मापों का सत्यापन-मुद्रांकन का कार्य अविरल जारी है।

राज्य आयोग उपभोक्ता फोरम

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्च, 2004 में संशोधन किया गया हैं। इस अधिनियम को पुनः आंशिक रूप में फरवरी, 2005 में संशोधित किया गया हैं जिसके अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में एक लाख रूपये मूल्यांकन तक के परिवाद पर 100/- रूपये, एक लाख रूपये और उससे ऊपर किन्तु पाँच लाख रूपये मूल्यांकन से कम के परिवाद पर 200/- रूपये, पाँच लाख रूपये और उससे ऊपर किन्तु दस लाख रूपये से कम के मूल्यांकन के परिवाद पर 400/- रूपये एवं दस लाख रूपये और उससे ऊपर किन्तु बीस लाख रूपये से कम के मूल्यांकन के परिवाद पर 500/- रूपये परिवाद शुल्क निर्धारित किया गया हैं। अंत्योदय योजना कार्ड धारण करने वाले गरीबी रेखा के नीचे के अधीन व्यक्ति के लिए एक लाख रूपये तक के मूल्यांकन परिवाद दाखिल करने पर कोई परिवाद शुल्क नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सीधे दाखिल होने वाली शिकायतों पर 50 लाख रूपये तक के मूल्यांकन पर 2,000/- रूपये शुल्क और 50 लाख रूपये से अधिक और एक करोड रूपये तक के मूल्यांकन पर 4,000/- रूपये शुल्क निर्धारित किया गया हैं। माननीय राष्ट्रीय आयोग के समक्ष सीधे दाखिल होने वाली शिकायतों पर 5,000/- रूपये शुल्क निर्धारित किया गया हैं।

भारत सरकार द्वारा परिवाद शुल्क मार्च, 2004 से निर्धारित किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कोर्ट फीस/नकल फीस के रूप में कुल धनराशि रूपये 4,01,599/- की राजस्व प्राप्ति हुई हैं, जिसे खाद्य विभाग के प्राप्ति लेखा में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जा चुका है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में माह अप्रैल, 2011 से माह मार्च, 2012 तक कुल 456 वाद दर्ज हुए एवम् कुल 477 वाद निस्तारित हुए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरमों में माह अप्रैल, 2011 से माह मार्च, 2012 तक कुल 1434 वाद दर्ज हुए एवम् कुल 1210 वाद निस्तारित हुए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भारत सरकार की सहायता से राज्य के विभिन्न जनपदों में सौ (100) माध्यमिक विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों (Consumer Clubs) की स्थापना स्वैछिक उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से की गई है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को स्कूलों में उपभोक्ता अधिकार की जानकारी दी जा रही है।

रबी खरीद वर्ष 2010–11 एवम् 2011–12 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ के क्रय का विवरण

गेहूँ खरीद

राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित एवम् लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के निमित्त भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी खरीद वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार की विभिन्न क्रय संस्थाओं द्वारा कुल 86237.513 मी०टन गेहूँ की खरीद की गई जिसमें खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा द्वारा 6592.100 मी०टन, सहकारिता विभाग द्वारा 61977.713 मी०टन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 17667.700 मी०टन गेहूँ की खरीद की गई है। क्रय की गई गेहूँ की मात्रा में से भारतीय खाद्य निगम (केन्द्रीय पूल) को 17667.700 मी०टन एवम् विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता हेतु स्टेट पूल में 68567.939 मी०टन गेहूँ का सम्प्रदान किया गया है। क्रय की गई समस्त गेहूँ की मात्रा का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है।

रबी खरीद वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार की विभिन्न क्रय संस्थाओं द्वारा कुल 42040.390 मी०टन गेहूँ की खरीद की गई जिसमें खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा द्वारा 3415.800 मी०टन, सहकारिता विभाग द्वारा 32556.790 मी०टन तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 6067.800 मी०टन गेहूँ की खरीद की गई है। क्रय की गई गेहूँ की मात्रा में से भारतीय खाद्य निगम (केन्द्रीय पूल) को 6067.800 मी०टन एवम् विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता हेतु स्टेट पूल में 35971.583 मी०टन गेहूँ का सम्प्रदान किया गया है। क्रय की गई समस्त गेहूँ की मात्रा का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है। नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय केन्द्र खोलकर कृषकों से निम्न मात्रा में गेहूँ की खरीद की गयी, विवरण निम्नवत है :-

(मात्रा मी०टन में)

रबी खरीद वर्ष	क्रय एजेन्सीयों का नाम			क्रय की गई कुल मात्रा
	खाद्य विभाग	सहकारिता विभाग	भारतीय खाद्य निगम	
2010-2011	6592.100	61977.713	17667.700	86237.513
2011-2012	3415.800	32556.790	6067.800	42040.390

खरीफ-खरीद वर्ष 2011–12 में लेवी योजना के अन्तर्गत धान/चावल के क्रय का विवरण

धान खरीद

विगत वर्षों की खरीद को दृष्टिगत रखते हुये खरीफ-खरीद वर्ष 2011–12 हेतु राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों से 50 हजार मी०टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस निमित्त राज्य में खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग (विपणन शाखा), सहकारिता विभाग एवम् भारतीय खाद्य निगम को क्रय एजेन्सी नामित किया गया।

राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा यथा आवश्यकता पर्याप्त क्रय केन्द्र खोले गये, लेकिन राज्य की मण्डियों में अच्छे औसत किस्म (F.A.Q) धान के बाजार भाव समर्थन मूल्य के समान अथवा अधिक होने के कारण राज्य सरकार के क्रय केन्द्रों पर कुल 18838.870 मी०टन धान की खरीद हो सकी है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

(मात्रा मी०टन में)

क्र०सं०	खरीफ-खरीद वर्ष	क्रय एजेन्सियों का नाम			क्रय की गई कुल मात्रा
		खाद्य विभाग	सहकारिता विभाग	भारतीय खाद्य निगम	
1.	2011-2012	4335.160	11673.550	2830.160	18838.870

लेवी चावल खरीद

लेवी योजनान्तर्गत राज्य के राईस मिलर्स द्वारा क्रय किये गये धान पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार चावल की खरीद की जाती है। खरीफ-खरीद वर्ष 2011–12 के लिये राज्य सरकार द्वारा लेवी चावल खरीद का लक्ष्य 4.00 लाख मी०टन निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष दिनाँक 31–03–2012 तक कुल 306666.000 मी०टन लेवी चावल की खरीद हुई है।

विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत खरीफ-खरीद वर्ष 2011–12 के लिये राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु अपनी वार्षिक आवश्यकता के लिये 1.70 लाख मी०टन चावल हेतु स्टेट पूल का प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष दिनाँक 31–03–2012 तक स्टेट पूल में 128680 मी०टन लेवी चावल तथा 9899 मी०टन सी०एम०आर० (कस्टम मिल्ड राईस) का सम्प्रदान किया गया है।

लेवी चावल खरीद का विवरण निम्नवत है :-

(मात्रा मी०टन में)

क्र०सं०	खरीफ-खरीद वर्ष	लेवी चावल का सम्प्रदान		कुल खरीद
		केन्द्रीय पूल	स्टेट पूल	
1.	2011-2012 दिनाँक 31–03–2012 तक	177986.000	128680.000	306666.000

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी का विवरण

वित्तीय वर्ष 2001—02

दिनाँक 20—02—2002 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 10,01,00,000.00
कुल योग	**रू० 10,01,00,000.00**

वित्तीय वर्ष 2003—04

दिनाँक 01—04—2003 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 13,97,00,000.00
दिनाँक 03—11—2003 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 50,81,74,000.00
दिनाँक 09—02—2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 6,75,00,000.00
दिनाँक 12—03—2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 6,05,67,000.00
दिनाँक 18—03—2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 16,80,55,000.00
कुल योग	**रू० 94,39,96,000.00**

वित्तीय वर्ष 2004—05

दिनाँक 23—07—2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 17,88,88,000.00
दिनाँक 14—09—2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 20,21,00,000.00
दिनाँक 29—09—2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 24,97,00,000.00
दिनाँक 17—12—2004 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 13,66,00,000.00
दिनाँक 22—03—2005 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 16,00,00,000.00
कुल योग	**रू० 92,72,88,000.00**

वित्तीय वर्ष 2005—06

दिनाँक 10—06—2005 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 23,84,00,000.00
दिनाँक 22—09—2005 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 21,88,00,000.00
दिनाँक 24—02—2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 12,44,00,000.00
दिनाँक 31—03—2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 19,91,68,000.00
कुल योग	**रू० 78,07,68,000.00**

वित्तीय वर्ष 2006-07

दिनाँक 26-05-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	33,48,00,000.00
दिनाँक 30-05-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	20,02,00,000.00
दिनाँक 12-09-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	2,60,00,000.00
दिनाँक 12-09-2006 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	14,10,00,000.00
दिनाँक 06-02-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	1,20,00,000.00
दिनाँक 22-03-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	11,17,00,000.00
दिनाँक 22-03-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	11,62,00,000.00
कुल योग	रू०	**94,19,00,000.00**

वित्तीय वर्ष 2007-08

दिनाँक 27-06-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	12,81,00,000.00
दिनाँक 27-06-2007 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	13,36,00,000.00
दिनाँक 07-02-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	13,39,00000.00
दिनाँक 24-03-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	22,12,00000.00
दिनाँक 24-03-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	6,97,00000.00
कुल योग	रू०	**68,65,00,000.00**

वित्तीय वर्ष 2008-09

दिनाँक 27-06-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	18,38,00,000.00
दिनाँक 27-06-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	11,35,00,000.00
दिनाँक 01-10-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	14,16,00,000.00
दिनाँक 05-12-2008 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	24,90,00,000.00
दिनाँक 12-03-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	24,55,00,000.00
दिनाँक 20-03-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	2,95,00,000.00
दिनाँक 26-03-2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू०	1,76,00,000.00
कुल योग	रू०	**98,05,00,000.00**

वित्तीय वर्ष 2009–10

दिनाँक 22–04–2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 5,89,00,000.00
दिनाँक 08–06–2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 25,31,00,000.00
दिनाँक 16–09–2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 67,08,00,000.00
दिनाँक 16–09–2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 48,01,00,000.00
दिनाँक 15–12–2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 24,81,00,000.00
दिनाँक 15–12–2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 1,79,00,000.00
दिनाँक 24–12–2009 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 7,51,00,000.00
दिनाँक 15–02–2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 18,60,00,000.00
दिनाँक 29–03–2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 30,88,00,000.00
कुल योग	**रू० 2,29,88,00,000.00**

वित्तीय वर्ष 2010–11

दिनाँक 16–04–2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 25,09,00,000.00
दिनाँक 16–04–2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 8,33,00,000.00
दिनाँक 06–07–2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 14,75,00,000.00
दिनाँक 29–09–2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 84,88,00,000.00
दिनाँक 29–09–2010 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 39,65,00,000.00
दिनाँक 17–03–2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 47,21,00,000.00
दिनाँक 17–03–2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 79,45,00,000.00
कुल योग	**रू० 2,99,36,00,000.00**

वित्तीय वर्ष 2011–12

दिनाँक 18–08–2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 13,14,00,000.00
दिनाँक 07–09–2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 75,50,00,000.00
दिनाँक 07–09–2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 52,70,00,000.00
दिनाँक 19–12–2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 13,67,00,000.00
दिनाँक 19–12–2011 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 15,02,00,000.00
दिनाँक 28–03–2012 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 15,06,00,000.00
दिनाँक 28–03–2012 को प्राप्त खाद्यान्न सब्सिडी	रू० 32,88,00,000.00
कुल योग	**रू० 2,17,97,00,000.00**
वित्तीय वर्ष 2001–02 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक प्राप्त सब्सिडी का प्रगामी योग	**रू० 1,475,55,52,000.00**

(रू० एक हजार चार सौ पिचहत्तर करोड़ पच्चपन लाख बावन हजार मात्र)

वित्तीय वर्ष 2011-12 में ए०पी०एल० योजना के अर्न्तगत खाद्यान्न के आवंटन, उठान एवम वितरण की स्थिति।

(मात्रा मी०टन में)

माह का नाम	ए०पी०एल					
	चावल			गेहूँ		
	आवंटन	उठान	वितरण	आवंटन	उठान	वितरण
अप्रैल, 2011	2324.000	2239.810	2257.960	14766.000	12055.671	14175.686
मई, 2011	2324.000	2482.050	2897.369	14766.000	15695.222	14916.577
जून, 2011	14353.000	14278.815	11746.050	30076.000	20564.503	17501.133
जुलाई, 2011	13725.000	8436.803	9129.982	21803.000	19406.452	19872.761
अगस्त, 2011	3432.000	10536.133	11790.698	21803.000	21643.789	19590.156
सितम्बर, 2011	17717.714	23284.487	15320.667	21803.000	13429.906	16328.230
अक्टूबर, 2011	17717.714	6377.372	11828.040	21803.000	19553.533	19875.496
नवम्बर, 2011	17717.714	17318.646	15051.227	21803.000	19904.817	18950.569
दिसम्बर, 2011	17717.714	32738.271	21986.633	21803.000	14449.100	14184.835
जनवरी, 2012	17717.714	6548.321	16151.995	21803.000	19322.396	16460.182
फरवरी, 2012	17717.714	5673.924	9919.672	21803.000	23240.772	21067.906
मार्च, 2012	17717.714	4450.716	6397.654	21803.000	18682.448	20728.213
कुल योग	**160181.998**	**134365.348**	**134477.947**	**255835.000**	**217948.609**	**213651.744**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बी०पी०एल० योजना के अर्न्तगत खाद्यान्न के आवंटन, उठान एवम् वितरण की स्थिति।

(मात्रा मी०टन में)

माह का नाम	बी०पी०एल					
	चावल			गेहूँ		
	आवंटन	उठान	वितरण	आवंटन	उठान	वितरण
अप्रैल, 2011	8924.500	9491.606	9258.912	5006.833	4699.265	5072.117
मई, 2011	8924.500	8341.989	9502.908	5006.833	5118.659	5276.619
जून, 2011	11088.700	8127.615	8566.939	6661.433	3542.491	4296.689
जुलाई, 2011	9285.200	10375.163	9259.707	5282.600	6354.864	4799.923
अगस्त, 2011	9285.200	7282.023	6761.407	5282.600	4278.287	3922.432
सितम्बर, 2011	9285.200	6297.781	7686.669	5282.600	4298.724	4287.776
अक्टूबर, 2011	9285.200	8711.508	7598.104	5282.600	5452.883	4468.659
नवम्बर, 2011	9285.200	8742.908	8725.018	5282.600	4642.394	4809.828
दिसम्बर, 2011	9285.200	7431.267	8244.056	5282.600	3147.036	4449.628
जनवरी, 2012	9285.200	10963.665	8866.358	5282.600	5457.457	4936.706
फरवरी, 2012	9285.200	9704.513	9883.528	5282.600	5666.028	4813.882
मार्च, 2012	9285.200	9801.179	10019.570	5282.600	5907.696	5110.830
कुल योग	**112504.500**	**105271.217**	**104373.176**	**64218.499**	**58565.784**	**56245.089**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत खाद्यान्न के आवंटन, उठान एवम् वितरण की स्थिति।

(मात्रा मी०टन में)

माह का नाम	अन्त्योदय अन्न योजना					
	चावल			गेहूँ		
	आवंटन	उठान	वितरण	आवंटन	उठान	वितरण
अप्रैल, 2011	4685.000	4112.660	4239.917	1997.000	1575.068	1825.919
मई, 2011	4685.000	4103.943	4436.867	1997.000	2000.967	1962.905
जून, 2011	4685.000	3584.430	3923.535	1997.000	1542.089	1699.224
जुलाई, 2011	4685.000	4856.152	4577.555	1997.000	2330.438	2323.613
अगस्त, 2011	4685.000	2649.302	3796.605	1997.000	1187.971	1593.877
सितम्बर, 2011	4685.000	4102.299	4297.736	1997.000	1585.401	1880.008
अक्टूबर, 2011	4685.000	3792.866	4124.971	1997.000	2088.327	1840.280
नवम्बर, 2011	4685.000	5106.273	4586.975	1997.000	1846.325	2091.390
दिसम्बर, 2011	4685.000	4327.480	4387.168	1997.000	1488.741	1787.990
जनवरी, 2012	4685.000	5622.304	4586.229	1997.000	2292.555	2116.029
फरवरी, 2012	4685.000	5588.636	5085.437	1997.000	2164.315	2042.530
मार्च, 2012	4685.000	6830.988	5163.542	1997.000	2590.787	2142.711
कुल योग	**56220.000**	**54677.333**	**53206.537**	**23964.000**	**22692.984**	**23306.476**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में चीनी एवम् मिट्टी तेल के आवंटन, उठान एवम् वितरण की स्थिति।

माह का नाम	चीनी (मात्रा - मी०टन में।)			मिटटी तेल (मात्रा - के०एल० में।)		
	आवंटन	उठान	वितरण	आवंटन	उठान	वितरण
अप्रैल, 2011	6033.000	5942.320	6263.400	9216.000	9237.000	9613.914
मई, 2011	6033.000	6587.950	6071.500	9216.000	9166.000	9312.802
जून, 2011	6033.000	5699.550	5964.320	8904.000	8792.000	8549.935
जुलाई, 2011	6033.000	4684.500	5588.470	8864.000	8851.000	9031.112
अगस्त, 2011	6033.000	4970.500	4952.650	8864.000	8843.000	8794.854
सितम्बर, 2011	6033.000	5171.372	5322.810	8864.000	7827.000	7855.586
अक्टूबर, 2011	6033.000	6385.000	5827.186	8888.000	8680.720	8414.695
नवम्बर, 2011	6033.000	6025.600	6128.422	8888.000	8455.740	7712.083
दिसम्बर, 2011	6033.000	6088.550	6025.050	8888.000	8882.400	8950.840
जनवरी, 2012	6033.000	7446.050	6084.210	8877.000	8847.736	8828.794
फरवरी, 2012	6033.000	4639.450	5961.350	8877.000	8832.800	8903.393
मार्च, 2012	6033.000	4790.200	5346.440	8877.000	8949.800	8918.948
कुल योग	**72396.000**	**68431.042**	**69535.808**	**107223.000**	**105365.196**	**104886.956**

वित्तीय वर्ष 2011—12 में घरेलू/व्यवसायिक गैस सिलैण्डरों की संख्या एवम् वितरण

(सिलैण्डर में)

क्र०सं०	सम्भाग का नाम	जनपद का नाम	घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या	घरेलू सिलैण्डरों का वितरण (14.2 Kg.)	व्यवसायिक उपभोक्ताओं की संख्या	व्यवसायिक सिलैण्डरों का वितरण (19.0 Kg.)
1.	गढ़वाल सम्भाग	उत्तरकाशी	55301	247874	784	3246
2.		पौड़ी गढ़वाल	179909	764710	1288	16851
3.		टिहरी गढ़वाल	129349	490745	958	7120
4.		चमोली	83148	291762	1282	11478
5.		रुद्रप्रयाग	44870	163240	655	3296
6.		देहरादून	487486	3099729	7124	123587
7.		हरिद्वार	227537	1737036	3308	106833
	योग		**1207600**	**6795096**	**15399**	**272411**
8.	कुमायूँ सम्भाग	उधमसिंहनगर	211691	1716423	2792	62803
9.		नैनीताल	158116	1209523	2943	42192
10.		अल्मोड़ा	78780	403671	770	7769
11.		चम्पावत	40034	183680	487	2449
12.		बागेश्वर	32345	131956	434	1694
13.		पिथौरागढ़	95717	470033	671	4219
	योग		**616683**	**4115286**	**8097**	**121126**
	महायोग		**1824283**	**10910382**	**23496**	**393537**

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत किये गये प्रवर्तन कार्य सम्बन्धी सूचना

(खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी तेल/एल0पी0जी0 गैस/पैट्रोल/डीजल)

(वर्ष 2011–2012)

क्र0 सं0	माह का नाम	नियमित निरीक्षण	एफ0आई0आर0दर्ज	गिरफ्तारी	पकड़ी गई वस्तुओं का विवरण (₹ में)	निलम्बित लाईसेन्स संख्या	निरस्त लाई0	जब्त प्रतिभूति (₹ में)	अर्थदण्ड (₹ में)
1.	अप्रैल 2011	1335	पौड़ी 01, उत्तरकाशी 01, देहरादून 01, हरिद्वार 01 एवं चम्पावत 01	चम्पावत 03	हरिद्वार में 10 के0.एल0 डीजल, 23 घरेलू गेस सिलि0 एवं 01 टैंकर अनुमानित मूल्य 15 लाख ₹ टिहरी में 14 गैस सिलेण्डर चम्पावत में 30 सिलै0 एवं 85 ली0 मिट्टी तेल बागेश्वर में 03 गैस सिलेण्डर	10	04	62575	उत्तरकाशी ₹ 5000 उधमसिंह नगर में ₹ 6650 चम्पावत में ₹ 13000 देहरादून में ₹ 6000
2.	मई 2011	1071	हरिद्वार 01, नैनीताल 01	नैनीताल 01	रूद्रप्रयाग में 17 गैस सिलेण्डर हरिद्वार में 10 के0.एल0 डीजल, 01 टैंकर अनुमानित मूल्य 12 लाख ₹ नैनीताल में 19 गैस सिलैण्डर तथा 01 मारूति कार उधमसिंह नगर में 47 सिलै0 (₹ 58750)	07	06	41916	उत्तरकाशी ₹ 15177 उधमसिंह नगर में ₹ 22800
3.	जून 2011	867	उधमसिंह नगर 01	—	उधमसिंह नगर में 100.75 कुन्तल ए0पी0एल0 चावल (₹ 60450)	14	08	38000	उत्तरकाशी ₹ 7018 उधमसिंह नगर में ₹ 22800 चम्पावत में ₹ 1350 पिथौरागढ़ में ₹ 16500
4.	जुलाई 2011	973	उधमसिंह नगर 03 एवं चम्पावत 01	उधमसिंह नगर 04	टिहरी में 19 गैस सिलेण्डर नैनीताल में 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यावसा0 तथा 13 छोटे सिलेण्डर उधमसिंह नगर में 36 सिलै0 (₹58750) 20 हजार ली0 मि0 तेल (₹272400) चम्पावत में 05 कु0 ए0पी0एल0 गेहूँ एवं 05 कु0 ए0पी0एल0 चावल (₹ 5000.00)	17	08	47700	रूद्रप्रयाग ₹ 11296 उत्तरकाशी ₹ 21340 उधमसिंह नगर में ₹ 12350 चम्पावत में ₹ 500 पिथौरागढ़ में ₹ 3000

क0 सं0	मह का नाम	नियमित निरीक्षण	एफ0आई0आर0 दर्ज	गिरफ्तारी	पकड़ी गई वस्तुओं का विवरण (₹ में)	निलम्बित लाईसेन्स संख्या	निरस्त लाई0	जब्त प्रतिभूते (₹ में)	अर्थदण्ड (₹ में)
5.	अगस्त 2011	1127	देहरादून 02 एवं उधमसिंह नगर 01	उधमसिंह नगर 01 एवं चम्पावत 01	उधमसिंह नगर में 100 कट्टा चावल (₹30000) तथा घरेलू के 29 सिलै0 (₹36250), व्यावसायिक के 02 सिलै0 (₹3400) एवं 05 कि0ग्रा0 के 08 सिलै0 (₹2800) पिथौरागढ़ में 14 सिलै0	16	02	47750	उत्तरकाशी ₹ 10229 उधमसिंह नगर में ₹ 7600 चम्पावत में ₹ 20605 देहरादून में ₹ 6000
6	सितम्बर 2011	1255	हरिद्वार–03, नैनीताल–01 एव उधमसिंह नगर में–01	हरिद्वार–03, नैनीताल–01 एवं उधमसिंह नगर में–02	देहरादून में 20 घरेलू सिलै0, हरिद्वार में 13 घरेलू सिलै0, पॉच कि0ग्रा0 वाले 14 सिलै0, दे कि0ग्रा0 वाला एक सिलै0, दे रिफलर। नैनीताल में 22 घरेलू सिलै0 02 छोटे सिलै0 एवं 01 मारूति कार। उधमसिंह नगर में 3740 लीटर मिट्टी तेल (₹ 50938.80) तथा 09 घरेलू गैस सिलै0 (₹ 11250.00)	10	10	34212	उत्तरकाशी ₹ 8826 देहरादून में ₹ 5000 नैनीताल में ₹ 1000 पिथौरागढ़ में ₹ 20000 उधमसिंह नगर में ₹ 13300, चम्पावत में ₹ 1000
7	अक्टूबर 2011	1169	–	–	हरिद्वार में 1160 ली0 डीजल (₹ 58000) नैनीताल में 86/01 छोटे गैस सिलै0, अल्मोड़ा में 17 सिलै0, पिथौरागढ में 06 सिलै0, चम्पावत में 05 सिलै0 एवं बागेश्वर में 20 घरेलू सिलै0	08	13	29500	उत्तरकाशी में ₹ 5500 अल्मोड़ा मे ₹ 7000 उधमसिंह नगर में ₹ 2850 चम्पावत में ₹ 6500
8	नवम्बर 2011	945	–	–	हरिद्वार में 1 ट्रैक्टर ट्राली (₹200000.00), 130 कट्टे गेहूँ वजन65 कु0, (₹78000) 06 घरेलू सिलै0, नैनीताल में 04 घरेलू सिलै0, अल्मोड़ा में 05 सिलै0	05	00	28812	उत्तरकाशी में ₹12000 चमोली में ₹70000 नैनीताल में ₹11800 अल्मोड़ा में ₹5000 उधमसिंह नगर में ₹1900 चम्पावत में ₹1500 बागेश्वर में ₹2600

क्र0 सं0	माह का नाम	नियमित निरीक्षण	एफ0आई0आर0 दर्ज	गिरफ्तारी	पकड़ी गई वस्तुओं का विवरण (₹ में)	निलम्बित लाईसेन्स संख्या	निरस्त लाई0	जब्त प्रतिभूति (₹ में)	अर्थदण्ड (₹ में)
9	दिसम्बर 2011	990	बागेश्वर–01, नैनीताल–01, हरिद्वार–04	नैनीताल–01	नैनीताल में 08 घरेलू गैस सिलैंव एवं एक छोटा सिलै0 (05 कि0ग्रा0) उधमसिंह नगर 148 कुन्तल चावल (₹88800)	05	04	56500	उत्तरकाशी में ₹17288 देहरादून ₹3000 नैनीताल में ₹41800 बागेश्वर में ₹11100
10	जनवरी, 2012	752	नैनीताल–02, उधमसिंहनगर–01	नैनीताल–02	नैनीताल में 33 घरेलू गैस सिलैंव एवं एक छोटा सिलै0 (05 कि0ग्रा0) उधमसिंह नगर 148 कुन्तल चावल (₹88800)	03	04	20000	उत्तरकाशी में ₹3288 नैनीताल में ₹2000 बागेश्वर में ₹13500
11	फरवरी, 2012	769	देहरादून–01, हरिद्वार–01, उधमसिंहनगर–01, चम्पावत–01	हरिद्वार–02, चम्पावत–02	देहरादून–15 सिलै0 हरिद्वार–211 कु0 गेहूँ जब्त किया गया तथा 01 छोटी गाडी एवं एक महिन्द्रा पिकअप, 19 घरेलू सिलै0 नैनीताल–07 घरेलू सिलै0 अल्मोड़ा–10 घरेलू सिलै0 उधमसिंह नगर–14 कि0ग्रा0–41 (₹ 51250) चम्पावत–90 लीटर मिट्टी तेल	02	04	11000	उत्तरकाशी में ₹27000 देहरादून ₹ 15495 नैनीताल में ₹ 14900 अल्मोड़ा में ₹ 4000 उधमसिंह नगर में ₹35150 चम्पावत में ₹ 750
12	मार्च, 2012	908	00	00	देहरादून–67 सिलै0, टिहरी–1 घरेलू गैस सिलै0 अल्मोड़ा–1 घरेलू गैस सिलै0 उधमसिंह नगर–1 घरेलू गैस सिलै0 (₹ 1250) चम्पावत–12 गैस सिलै0	00	10	12374	नैनीताल में ₹30800 अल्मोड़ा में ₹ 18200 पिथौरागढ़ में ₹ 3310 उधमसिंह नगर में ₹14250
	योग	10047	33	23	₹ 3771063.000	93	73	₹ 430339	₹ 640822.00

उत्तराखण्ड में जनपदवार उचित दर की दुकानों की संख्या

(मार्च, 2012)

क्र०सं०	सम्भाग का नाम	जनपद का नाम	कुल दुकानों की संख्या		
			शहरी	ग्रामीण	योग
1.	गढ़वाल सम्भाग	पौड़ी गढ़वाल	58	855	913
2.		रूद्रप्रयाग	07	371	378
3.		टिहरी गढ़वाल	33	1026	1059
4.		उत्तरकाशी	13	520	533
5.		हरिद्वार	122	390	512
6.		देहरादून	329	606	935
7.		चमोली	32	740	772
योग			**594**	**4508**	**5102**
8.	कुमायूँ सम्भाग	नैनीताल	133	437	584
9.		अल्मोड़ा	42	894	936
10.		पिथौरागढ़	50	716	766
11.		उधमसिंह नगर	202	408	610
12.		बागेश्वर	03	430	433
13.		चम्पावत	11	318	329
योग			**441**	**3203**	**3658**
महायोग			**1035**	**7711**	**8760**

उत्तराखण्ड में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शहरी एवम् ग्रामीण राशन कार्डों का जनपदवार विवरण
(मार्च, 2012)

क्र० सं०	जनपद का नाम	ए०पी०एल० राशन कार्ड			बी०पी०एल० राशन कार्ड			अन्त्योदय राशन कार्ड			महायोग
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	
1.	पौड़ी गढ़वाल	136603	27416	164019	17138	155	17293	15669	453	16122	197434
2.	रूद्रप्रयाग	42282	1825	44107	10472	114	10586	4563	54	4617	59310
3.	टिहरी गढ़वाल	114295	12705	127000	25520	74	25594	24084	72	24156	176750
4.	उत्तरकाशी	42109	4296	46405	14501	222	14723	13511	206	13717	74845
5.	हरिद्वार	234577	113353	347930	32782	5307	38089	30195	4939	35134	421153
6.	देहरादून	184315	175260	359575	27344	6072	33416	11898	2677	14575	407566
7.	चमोली	44503	11017	55520	12059	8373	20432	7336	1576	8912	84864
8.	नैनीताल	139883	89260	229143	17252	2133	19385	16364	1696	18060	266588
9.	अल्मोड़ा	97516	14801	112317	33327	444	33771	14524	205	14729	160817
10.	पिथौरागढ़	74447	14491	88938	24832	234	25066	10585	348	10933	124937
11.	उधमसिंह नगर	204502	130511	335013	33511	6130	39641	14478	2811	17289	391943
12.	बागेश्वर	40772	1883	42655	15297	164	15461	6671	72	6743	64859
13.	चम्पावत	32108	5934	38042	13553	64	13617	5756	183	5939	57598
योग		**1387912**	**602752**	**1990664**	**277588**	**29486**	**307074**	**175634**	**15292**	**190926**	**2488664**
		ए०पी०एल० राशन कार्ड 1990664 + बी०पी०एल० राशन कार्ड 307074 + अन्त्योदय राशन कार्ड 190926 = 2488664									